

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2026

अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता

(यांत्रिक)

के धारा 17 (एक) ख का (एक से सात) तक प्राप्त

अनुरोध पत्र


Sugam-①

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विकास तोपवाल	अपर सहायक अभियन्ता (यां०)	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	देहरादून	1-प्रा०खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून (समावत) 2- अ०खण्ड, लो०नि०वि० सहिया (देहरादून) 3-निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा	धारा के नाम के आगे टिक लगायें धारा 17(1) (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) धारा 17(1) (ख) (छः) धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	मेरी पत्नी उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय सेवा में कार्यरत है। (प्रमाण पत्र संलग्न) अतः प्रार्थी को स्था०अधि० 2017 की धारा 13 के बिन्दु 3 एवं 17 के (ख) के बिन्दु 04 के आधार पर दम्पति नीति में मुझे इच्छित निम्न स्थानों पर नियुक्त करने की कृपा करें।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायात्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)




नाम-

विकास तोपवाल

पदनाम:-

अ० सहा० अभि० (यां०)
प्रा० ख० लो० नि० वि०
देहरादून

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)


अधिसासी अभियन्ता
नाम प्रा०ख०, लो०नि०वि०
पदनाम देहरादून

कार्यालय, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।

सिद्ध विहार, लोअर नेहरू ग्राम, देहरादून।


पत्रांक: 76 / जि०हो०चि०अ० / 2026-27

दिनांक 11 मई, 2026

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उमा तोपवाल पत्नी श्री विकास तोपवाल, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, छरदा, देहरादून में फार्मासिस्ट के पद पर माह जनवरी, 2022 से कार्यरत है।

उक्त प्रमाण-पत्र श्रीमती उमा तोपवाल को उनके पति श्री विकास तोपवाल के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्गत किया जा रहा है।


(डा० सरिता जोशी)

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

प्रारूप-2

Durgam - 1

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं०	कर्मचारी कोड	नाम/ पदनाम	वर्तमान कार्यालय का	10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में		टिप्पणी	
1	2	3	4	5		6	
1	42270313M 00193	श्री सत्यपाल सिंह /अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट	1 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट। 2 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17 (2) घ	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण ✓	महोदय में वर्तमान में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के जनपद अध्यक्ष उत्तरकाशी के दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूँ। जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय महासचिव महोदय द्वारा अपने पत्रांक सं० 78-12/अध्यक्ष/ 2026 दिनांक 18.04.2026 के द्वारा भी वर्ष 2026 हेतु स्थानान्तरण में महासंघ के पदाधिकारियों को संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आग्रह किया गया है। उक्त पत्रांक में उल्लिखित पदाधिकारियों की सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक 06 पर अंकित है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय नि०ख०.लो०नि० वि०, बड़कोट में ही यथावत रखने की महति कृपा करें।
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-इं० सत्यपाल सिंह
पदनाम-अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट

हस्ताक्षर (कार्यालय/अध्यक्ष)

नाम- इं० सत्यपाल काम्बोज
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट



उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

(उत्तराखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघों का एकीकृत परिमंडल)

अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से सम्बन्ध

मान्यता संख्या - 797/XXX(2)/2006 दिनांक 27 मार्च 2006

प्रान्तीय कार्यालय : सद्भावना भवन, यमुना कॉलोनी, देहरादून फोन : 9412917304, 9412966435
ई-मेल : sadbhavnabhawan797@gmail.com

पत्रांक..... 78-12/अध्यक्ष/महासंघ/2026

दिनांक..... 18.04.2026

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :- उ०खि०इ० महासंघ के लो०नि०वि० में कार्यरत पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में संरक्षण दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषयक के क्रम में अग्रगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 में मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में संरक्षण प्राप्त है। इसी क्रम में आपके विभाग से संबंधित महासंघ के पदाधिकारियों की सूची निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	विभागीय पदनाम	महासंघ का धारित पद	कार्यरत खंड/कार्यालय का नाम
1	इ० रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक अभियन्ता	अध्यक्ष	सद्भावना भवन, यमुना कॉलोनी, देहरादून
2	इ० सुरेश सिंह उंगवाल	अपर सहायक अभि.	मण्डल अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा
3	इ० पूजा श्रेष्ठ	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	का.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
4	इ. अनूत्य वालिया	सहायक अभियन्ता	जनपद अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग रुड़की
5	इ. भूपेन्द्र सिंह रावत	अपर सहायक अभि.	जनपद अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)
6	इ. सत्यपाल सिंह	अपर सहायक अभि.	जनपद अध्यक्ष	लोक निर्माण विभाग बड़कोट (उत्तरकाशी)
7	इ. लोकेन्द्र विष्ट	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चिन्त्यालीसौंड (उत्तरकाशी)
8	इ० पूजा नेगी	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर
9	इ. अंकित विष्ट	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, पोखरी (चमोली)
10	इ० दिपिन सनवाल	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर
11	इ० मयंक शर्मा	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पीडी
12	इ० गणेश सिंह रातौला	अपर सहायक अभि.	जनपद सचिव	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी
13	इ० जी० एस० मेहरा	अपर सहायक अभि.	जनपद अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा
14	इ० राहुल संनी	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग त्रिपिकेश



उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

(उत्तराखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघों का एकीकृत परिषद)

अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष

मान्यता संख्या - 797/XXX(2)/2006 दिनांक 27 मार्च 2006

प्रान्तीय कार्यालय : सद्भावना भवन, यमुना कॉलोनी, देहरादून फोन : 9412917304, 9412966435

ई-मेल : sadbhavnabhawan797@gmail.com

क्र.सं.	नाम	पद	शाखा	क्षेत्र
15	इं० जे०पी० भट्ट	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)
16	इं० आशीष मिश्रा	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)
17	इं० अंजलि राणा	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	अस्थाई खण्ड, घनसाली (टिहरी गढ़वाल)
18	इं० विपिन जेल्टा	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)
19	इं० आशुतोष	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)
20	इं० रश्मि रायत	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग
21	इं० राहुल गुंसाई	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ
22	इं० नृपति भण्डारी	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ
23	इं० विपिन नौटियाल	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग (चमोली)
24	इं० ललित मोहन	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)
25	इं० नरेन्द्र रायत	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी
26	इं० प्रदीप मट्टा	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी
27	इं० जितेन्द्र सिंह पवार	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार
28	इं० हितांशी नैलवाल	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग (अल्मोडा)
29	इं० सचिन पुनेटा	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग चम्पावत
30	इं० दीपा पाण्डेय	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट
31	इं० सचिन महर	अपर सहायक अभि.	शाखा सचिव	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट
32	इं० दीप चन्द्र चौधरी	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल
33	इं० मनीष पन्त	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़
34	इं० पंकज तिवारी	अपर सहायक अभि.	शाखा अध्यक्ष	निर्माण खण्ड नरेन्द्र नगर



उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

(उत्तराखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघों का एकीकृत परिषद)

अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से सम्बन्ध

मान्यता संख्या- 797/XXX(2)/2006 दिनांक 27 मार्च 2006

प्रान्तीय कार्यालय : सद्भावना भवन, यमुना कॉलोनी, देहरादून फोन : 9412917304, 9412966435

ई-मेल : sadbhavnabhawan797@gmail.com

पत्रांक.....अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त पदाधिकारियों को "उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए चार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017" के अनुरूप वर्ष 2026 हेतु स्थानान्तरण में संरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी स्वयं की व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करता है तब उसके स्थानान्तरण पर महासंघ को कोई आपत्ति नहीं होगी।
आदर सहित

भवदीय


(इं० वीरेन्द्र सिंह गुसाईं)
महासचिव

प्रतिलिपि - प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री उ०डि०इं० संघ लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं० वीरेन्द्र सिंह गुसाईं)
महासचिव

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		9
						7	8	
1	श्री नमन चमोली	अपर सहायक अभियन्ता (या0)	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	जनपद-पौड़ी, तहसील-पौड़ी	प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नई टिहरी नि0ख0, लो0नि0वि0, चम्वा अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ.) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत	<p>प्रार्थी का विगत वर्ष ही स्थानान्तरण अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली में हुआ है। प्रार्थी द्वारा किए गये अनुरोध के आधार पर प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नई टिहरी एवं नि0ख0, लो0नि0वि0, चम्वा में स्थानान्तरण न हो पाने की दशा में प्रार्थी को अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली में यथावत सेवारत रहने दिया जाए। (शा0सं0 - 7/130236/xxx(2)/2023/E-33080 दिनांक -15.06.2023 के विन्दु सं0-4 के अनुसार "राज्यधीन सेवाओ में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते हैं, तो उन्हें अन्तिम स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी।)</p>


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :- नमन चमोली

पदनाम :- अपर सहायक अभियन्ता (या0)

नाम :- इं0 डी0सी0 नौटियाल

पदनाम :- अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय-घुनेटीधार


Durgam - 5

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7		8	9
						एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	प्रस्तुतसाक्ष्यों का विवरण		
1	राजेश मेवाड़	अपर सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	टिहरी गढ़वाल * कीर्तिनगर	1. प्रा0 ख0, कर्णप्रयाग	धारा के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये		प्रस्तुतसाक्ष्यों का विवरण	महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी को इस दुर्गम खण्ड प्रा0 ख0, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग में मात्र 03 वर्ष 10 माह का ही समय हुआ है एवं प्रार्थी वर्तमान में इसी दुर्गम खण्ड, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग में सेवाएं प्रदान करने हेतु इच्छुक है। अतः महोदय प्रार्थी को इसी दुर्गम खण्ड प्रा0 ख0, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग में यथावत रखने की महति कृपा करे। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक)			
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो)			
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन)			
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार)			
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच)			
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः)			
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)			

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक)


6/5/26

नाम- राजेश मेवाड़

पदनाम- अपर सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


6/5/26
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2								
क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ज्योति नेगी	अ०स० अभि० (यौं)	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	रूद्रप्रयाग/उखीमठ	1. प्रा० ख० देहरादून 2. नि० ख० श्रीनगर 3. प्रा० ख० पौड़ी 4. अ० ख० कीर्तिनगर 5. प्रा० ख० रुद्रप्रयाग 6. वि० ख० गोपेश्वर 7. प्रा० ख० वर्णप्रयाग <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये प्रस्तुत सक्षमता का विवरण <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छ)	1.UCC का विवाद फंजीकरण प्रमाण पत्र। 2.पति के निर्माण खण्ड पौड़ी में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र।	मेरे पति नि० ख० पौड़ी में कार्यरत है एवं मेरे दो छोटे बच्चे व बृद्ध मास बसुर हैं जिनकी देखभाल कीर्तिनगर के आस पास करवा दी जा सकती है। धारा 17 (1) (ख) (चार) के अनुसार निर्माण खण्ड पौड़ी से निकटतम सुगम रिक्त स्थान प्रा० ख० देहरादून व दुर्गम नि० ख० श्रीनगर, प्रा० ख० पौड़ी है। अतः स्तम्भ 6 में दर्शित ऐच्छिक स्थानों पर पहले तीन स्थानान्तरण विकल्प न होने पर मुझे अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर में यथावत रखने की कृपा करें।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वपमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम- ज्योति नेगी

पदनाम:- अ०स० अभि० (यौं)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)



(ई धिरेन्द्र कुमार)

अधिशारी अभियन्ता

अ०ख० लो०नि०वि०

कीर्तिनगर टि०ग०

नाम:-

पदनाम:-

// प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि इं० सूरज सिंह निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी में अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) के पद पर कार्यरत हैं।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी



Government of Uttarakhand
Acknowledgement Certificate for Registered Marriages

[Under Rules 7(1) (h) (i) of The Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025]

Registration No: MA-UKUCC255500000145

Date of Issuance: 06/03/2025



Details of Wife

Name : Jyoti Negi Bisht
 D/O : UMED SINGH
 Address : BAD GAUN, BLOCK-
 JAIHARIKHAL, TEHSIL -
 LANSDOWNE, DISTT-
 PAURI,
 UTTARAKHAND, Pauri
 Garhwal, Uttarakhand



Details of Husband

Name : Suraj Singh
 S/O : SHISHUPAL SINGH
 BISHT
 Address : VILL- KINJHANI, PO-
 CHANDRANAGAR,
 DISTT- RUDRAPRAYAG,
 Rudraprayag, Uttarakhand

Marriage Date: 23/11/2016

Place of Marriage: Dehradun, Uttarakhand

A memorandum for acknowledgment of the above mentioned marriage, registered under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010 on 10/07/2017 bearing registration number 99 has been received in this office on 05/03/2025. The marriage so registered is, hereby, acknowledged under The Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024.

This certificate is a public record and a valid proof of acknowledgement for legal purposes.

Details of Sub Registrar

Name - VIRENDRA SINGH
 Area - Rural /Kirtinagar/MADHI
 Tehsil - Kirtinagar
 District - Tehri Garhwal

Digitally Signed
 VIRENDRA SINGH
 Sub Registrar
 Registration of Marriage

प्रमाण पत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है एवं विधि मान्य है।
 प्रमाण पत्र को <https://ucc.uk.gov.in> से सत्यापित किया जा सकता है।


Downloaded on: 06 March 2025
 Time: 13:47:02 PM

Durgam-6

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2								
क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ज्योति नेगी	अ०स० अभि० (यौं)	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	रूद्रप्रयाग/उखीमठ	1. प्रा० ख० देहरादून 2. नि० ख० श्रीनगर 3. प्रा० ख० पौड़ी 4. अ० ख० कीर्तिनगर 5. प्रा० ख० रुद्रप्रयाग 6. वि० ख० गोपेशवर 7. प्रा० ख० कर्णप्रयाग	<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण 1.UCC का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। 2.पति के निर्माण खण्ड पौड़ी में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र।	मेरे पति नि० ख० पौड़ी में कार्यरत है एवं मेरे दो छोटे बच्चे व वृद्ध मास समुह हैं जिनकी देखभाल कीर्तिनगर के आस पास रहकर ही की जा सकती है। धारा 17 (1) (ख) (चार) के अनुसार निर्माण खण्ड पौड़ी से निकटतम सुगम रिक्त स्थान प्रा० ख० देहरादून व दुर्गम नि ख० श्रीनगर, प्रा० ख० पौड़ी है। अतः स्तम्भ 6 में दर्शित ऐच्छिक स्थानों पर पहले तीन स्थानान्तरण विकल्प न होने पर मुझे अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर में यथावत रखने की कृपा करें।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम- ज्योति नेगी

पदनाम:- अ०स० अभि० (यौं)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)



(ई धि० ए० कुमार)

अधिसायी अभियन्ता

अ०ख० लो०नि०वि०

कीर्तिनगर टि०ग०

नाम:-

पदनाम:-



Government of Uttarakhand
Acknowledgement Certificate for Registered Marriages

[Under Rules 7(1) (h) (i) of The Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025]

Registration No: MA-UKUCC2555000000145

Date of Issuance: 06/03/2025



Details of Wife

Name : Jyoti Negi Bisht
D/O : UMED SINGH
Address : BAD GAUN, BLOCK-
JAIHARIKHAL, TEHSIL-
LANSLOWNE, DISTT-
PAURI,
UTTARAKHAND, Pauri
Garhwal, Uttarakhand



Details of Husband

Name : Suraj Singh
S/O : SHISHUPAL SINGH
BISHT
Address : VILL- KINJHANI, PO-
CHANDRANAGAR,
DISTT- RUDRAPRAYAG,
Rudraprayag, Uttarakhand

Marriage Date: 23/11/2016

Place of Marriage: Dehradun, Uttarakhand

A memorandum for acknowledgment of the above mentioned marriage, registered under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010 on 10/07/2017 bearing registration number 99 has been received in this office on 05/03/2025. The marriage so registered is, hereby, acknowledged under The Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024.

This certificate is a public record and a valid proof of acknowledgement for legal purposes.

Details of Sub Registrar

Name - VIRENDRA SINGH
Area - Rural /Kirtinagar/MADHI
Tehsil - Kirtinagar
District - Tehri Garhwal

Digitally Signed
VIRENDRA SINGH
Sub Registrar
Registration of Marriage

प्रमाण पत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है एवं विधि मान्य है।
प्रमाण पत्र को <https://ucc.uk.gov.in> से सत्यापित किया जा सकता है।

Downloaded on: 06 March 2025
Time: 13:47:02 PM

// प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि इं० सूरज सिंह निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी में अपर सहायक अभियन्ता (वि०/या०) के पद पर कार्यरत हैं।



अधिशर्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Durgam - 9

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Gaurav Kumar	SE (M)	CD PWD Puro/a	Dekhadun	क्रि. सं. सडिया क्रि. सं. चडला क्रि. सं. टिहरी क्रि. सं. श्रीनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्वन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यालयी)

नाम- Gaurav Kumar
पदनाम- SE (M)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


नाम- इं. बलराम मिश्रा
पदनाम- अधिष्ठात्री अभियन्ता
विभागाध्यक्ष, पी. डी. डी.
पुरवा (उत्तरकाशी)

Durgam - 12

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1		3	4	5	6	7	8	9
1						प्रार्थी स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 में स्थानान्तरण का इच्छुक नहीं है।		वर्तमान में प्रार्थीनि प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन (दुर्गम) क्षेत्र में कार्यरत है तथा शासनादेश संख्या I/130236/XXX(2)/2023 / E-33080 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 में निहित प्राविधान के अनुसार प्रार्थी अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने हेतु अर्हता की शर्त को पूर्ण करता है।
2	रेशमा बानो (42270313=01768)	अपर सहायक अभियन्ता (यात्रिक)	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन	पौड़ी गढ़वाल/ पौड़ी		प्रार्थी शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने हेतु अर्हता की शर्त को पूर्ण करता है।		प्रार्थीनि का दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सूची (यात्रिक) में क्रमांक 12 है। शासनादेश संख्या I/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 में उल्लिखित प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-2 में निहित प्राविधान के अनुसार "राज्याधीन समस्त विभागों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अभियन्ता दुर्गम में ही तैनाती हेतु इच्छुक होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट हेतु अर्ह होगा" के अन्तर्गत प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए प्रार्थी की तैनाती प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन (दुर्गम) क्षेत्र में बनाये रखने की कृपा करें। प्रार्थीनि आपकी आजीवन आभारी रहेगी।

हस्ताक्षर (कार्मिक)



रेशमा बानो

अपर सहायक अभियन्ता (यात्रिक)

प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०

लैन्सडौन

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)



इ० विवेक कुमार सिंह

अधिसासी अभियन्ता

प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०

लैन्सडौन

प्रत्यावेदन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग,
उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून,

- द्वारा :- उचित माध्यम।
- विषय :- स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण वर्ष 2025-26 में कनिष्ठ अभियन्ताधर सहायक अभियन्ता (सिविल) दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने के सम्वन्ध
- संदर्भ :- शासनादेश संख्या - I/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं I/130236/XXX(2)/2023 / E- 33080 दिनांक 15.06.2023
- महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित शासनादेशों के क्रम में सादर अवगत कराना है कि :-

- वर्तमान मे प्रार्थीनि प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,लैन्सडौन (दुर्गम) क्षेत्र में कार्यरत है तथा शासनादेश संख्या I/130236/XXX(2)/2023 / E- 33080 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 में निहित प्राविधान के अनुसार प्रार्थी अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने हेतु अर्हता की शर्त को पूर्ण करता है।
- 1-

- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10.05.2023 में उल्लिखित प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-2 में निहित प्राविधान के अनुसार "राज्याधीन समस्त विभागों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अभियन्ता दुर्गम में ही तैनाती हेतु इच्छुक होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट हेतु अर्ह होगा" के अन्तर्गत प्रार्थीनि को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए अर्हता की शर्त को पूर्ण करता है।
- 2-

अतः उक्त वर्णित बिन्दुओं एवं संदर्भित शासनादेशों में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत सादर अनुरोध है कि प्रार्थीनि को वर्ष 2026-27 में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए प्रार्थी की तैनाती प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,लैन्सडौन (दुर्गम) क्षेत्र में ही बनाये रखने की

संलग्न:- शासनादेशों की प्रति।

दिनांक 06.05.2026

प्रतिलिपि :- अग्रिम प्रतिलिपि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,व्यवस्थापन 'घ' वर्ग,उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०,देहरादून, को विनम्र अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(रेशमा बानो)

अपर सहायक अभियन्ता (यात्रिक)
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
लैन्सडौन।

11/07/2023

संख्या: 1/130236/XXX(2)/2023/ए-33020

सेवा में
शैलेश भगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

- सेवा में
1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभाषी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्यिक एवं शतवर्षता अनुभाग-2

वेहरावृत्त: दिनांक 15 जून 2023

विषय: स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कतिपय प्रावधानों से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :-

इस अधिनियम के प्रस्थापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अद्यारोही प्रभाव होगा

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्रावधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यक्षिप्त में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2- इस क्रम में उपरोक्त समिति की संस्तुति के सन्दर्भ में गुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे एकल अतिगावक (विधवा/विधुर) जिनके ऊपर आश्रित संतानें हों, का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिये गये विकल्पों में से ही यथासम्भव किसी एक स्थान पर किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्यिक की प्रथम नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(1) से छूट प्रदान की जाती है, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्यिक से पांच स्थानों के विकल्प प्राप्त किये जायेंगे और यथासम्भव इन्हीं में से किसी एक स्थान पर तैनाती/नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

4- यह भी कि राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्यिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहें हैं, तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी, किन्तु ऐसे कार्यिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थान पर चार वर्ष से अधिक समय न हुआ हो (विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं सिविलिया शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संवर्ग को छोड़कर) और कार्यिक को विरुद्ध कोई जांच/शिकायत आदि प्रशासनिक कार्यवाही प्रवर्तित न हो। एक ही कार्यालय/तैनाती स्थान पर चार वर्ष से अधिक समय न होने की शर्त अतिबंधन सेवा के कार्यिकों को दुर्गम में तैनात रहने की छूट सम्बन्धी शारणादेश संख्या-1/120900, दि० 10.05.2023 के प्रस्ताव-2 के विन्दु-2 पर भी लागू होगी।

5- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) का लागू कार्मिकों को प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र के आरम्भ में राक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र (वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु वर्ष 2022 या उससे उपरान्त का प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने पर ही प्रदान किया जा सकेगा क्योंकि कतिपय लोगों के उपचार के परचात ठीक होने की सम्भावना रहती है किन्तु कुछ कार्मिकों द्वारा प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र में एक ही प्रमाण पत्र का लाना प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय.

Signed by Shailesh
Bagauli

Date: 15-06-2023 10:48:41

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: J/130236/XXX(2)/2023/E-33080

प्रतिलिपि:

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी, पीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल

ह०
(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रेमता,
ललिता मोहन ख्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शारान।

संख्या: 1/120990/2023 /XXX(2) /E-330220

सेवा में,

1. रामरत अपर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शारान।
2. रामरत प्रमुख सचिव/सचिव/प्रशासी सचिव, उत्तराखण्ड शारान।
3. रामरत गण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. रामरत विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यसहायक, उत्तराखण्ड।

कार्गिक एवं सारकता अनुगाग-2

देहरादून दिनांक 10 मई 2023

राज्याधीन रामरत विभागों में अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के कतिपय प्राविधानों से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये कार्गिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :-

इस अधिनियम के प्रस्थापन के उपरान्त अन्य विभागों की कार्गिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अप्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यक्षिप्त में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव तैयार करके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के पास प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर गण्डलायुक्त जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त समिति की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारान द्वारा सम्यक विभागेपरान्त राज्याधीन रामरत विभागों में अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं हेतु स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के कतिपय प्राविधानों से निम्नवत् छूट प्रदान की जाती है :-

1. राज्याधीन रामरत विभागों में अभियन्त्रण सेवा के अधीक्षण अभियन्ता को गृह वृत्त/जनपदों बाहर तैनाती दी जा सकेगी, अधिशासी अभियन्ता को गृह खण्ड से इतर स्थानों में तैनाती की जा सकेगी, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को गृह उपखण्ड/तहसील से बाहर तैनात किया जा सकेगा।
2. राज्याधीन रामरत विभागों में दुर्गम क्षेत्र में तैनात अभियन्ता, दुर्गम में ही तैनाती हेतु इच्छुक होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट हेतु अर्ह होगा, वरतों ऐसे अभियन्ता के विरुद्ध कोई जर्ज एवं शिक्कयत आदि प्रशासनिक आचार के मामले प्रचलित न हों।
3. राज्याधीन रामरत विभागों में अभियन्त्रण सेवा के 58 वर्ष से अधिक आयु के अभियन्ता को पद रिक्त होने की दशा में उनके इच्छित स्थान पर तैनाती दी जा सकेगी, किन्तु बिन्दु-1 में उल्लिखित पदों के इतर पदों पर स्थानान्तरण/तैनाती स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(2) (घ) के प्रतिबन्धों से अधीन की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(घ) (एक) से (साठ) के अन्तर्गत अनुसूचित वर्गों के आधार पर एक से अधिक कार्गिकों के प्रत्येक प्राय होने पर दुर्गम स्थल में अधिका राग्य तक तैनात रहे कार्गिक को वरीयता दी जायेगी।

कृपया सदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ललिता मोहन ख्याल)
अपर सचिव।

प्रतिनिधि:

Signed by Lalit Mohan

1. निजी सचिव, गण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड को गण्डलायुक्त जी के संज्ञानार्थ।
2. परिसर प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शारान को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गणनिदेशक, शारान एवं लोक सारक विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रशासी, भीडिया केंद्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
5. मार्स फाईल

50
(ललिता मोहन ख्याल)
अपर सचिव।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2


Durgam-15

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृहजनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान चरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रेखा	अपर सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. गौचर	पौडी	1. नि.ख. गौचर।	धारा के आगे ✓ लगाये धारा 17 (1)(ख) (एक) धारा 17 (1)(ख) (दो) धारा 17 (1)(ख) (तीन) धारा 17 (1)(ख) (चार) धारा 17 (1)(ख) (पाँच) धारा 17 (1)(ख) (छ) ✓ धारा 17 (1)(ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय प्रार्थीनी का नाम दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण सूची के क्रमांक संख्या 15 में अंकित है, प्रारूप-1 में दर्शित ऐच्छिक विकल्प (प्रा.ख. देहरादून) न होने की स्थिति में मुझे निर्माण खण्ड गौचर में यथावत रखने की कृपा करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मेरा 3 साल का बेटा है, तथा मेरा ससुराल देहरादून में है। एवं मेरे पति चमोली में कार्यरत है, अतः बेटे की देखभाल देहरादून अथवा गौचर में ही हो सकती है। सूची में दिये गये विकल्प प्रार्थीनी के लिये पारिवारिक कारणों के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है। मुझे पूल खण्ड में यथावत रखा जाय। शारणादेश संख्या 1/120990/2023/XXX (2)/ E.3080 दिनांक 10.05.2023 में उल्लिखित प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या -2 में निहित प्राविधान के अनुसार प्रार्थीनी अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने हेतु अर्हता की शर्त को पूर्ण करता है।

नोट-कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

Rekha
AAE (M)
हरताक्षर (कार्मिक)

नाम- रेखा
पदनाम-अपर सहायक अभियन्ता,


हरताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)
नाम-डॉ. सुनील कुमार
पदनाम-अविशारी अभियन्ता
अधिशासी अफि
निर्माण खण्ड
लो. नि. वि. 1.

Durgam-17

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42270313F00337	नीतू चौहान /अपर सहायक अभियन्ता (या)	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी	देहरादून	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चम्पा	धारा 17(1)(ख)(एक)		प्रार्थनी वर्तमान खण्ड प्रा० खण्ड लो०नि०वि० नई टिहरी में कार्यरत है एवं यथावत प्रा० खण्ड लो०नि०वि० नई टिहरी में कार्य करने हेतु इच्छुक है।
						धारा 17(1)(ख)(दो)		
						धारा 17(1)(ख)(तीन)		
						धारा 17(1)(ख)(चार)		
						धारा 17(1)(ख)(पांच)		
						धारा 17(1)(ख)(छः) ✓		
						धारा 17(1)(ख)(सात)		

Alauka

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम: नीतू चौहान

पदनाम -अपर सहायक अभियन्ता (या०)

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, नई टिहरी


हस्ताक्षर (कार्यालयव्ययि) 14.5.2026
 नाम - ई० योगेश कुमार
 पदनाम - अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, नई टिहरी

Durgam-18

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे सही लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्रीमती साक्षी गौतम	कनिष्ठ अभियन्ता (या)	लो0नि0वि अस्कोट	उधम सिंह नगर/ जसपुर	प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक)	<p>प्रार्थिनी द्वारा नियुक्ति दिनांक 17.07.2018 में निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अस्कोट में हुई थी वर्तमान में प्रार्थिनी निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट में 10 (दस) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी का घर भी अस्कोट से जसपुर है जो अस्कोट से लगभग 480 किमी0 है, प्रार्थिनी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है प्रार्थिनी का इलाज भी मेरठ से चल रहा है। अतः प्रार्थिनी की समस्या को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिनी का घर के नजदीकीय खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।</p>	
					नि0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो)		
					अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					प्रा0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार)		
					प्रा0ख0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)




नाम- श्रीमती साक्षी गौतम

पदनाम- कनिष्ठ अभियन्ता (या)

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


 पदनाम- कनिष्ठ अभियन्ता (या)
 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट

11/5/2026

Durgam-21

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अरुण कुमार कठेलिया	अपर सहायक अभियन्ता यांत्रिक	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत	जनपद नैनीताल/तहसील हल्द्वानी	1. निर्माण खण्ड, नैनीताल 2. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल 3. अस्थाई खण्ड, भवाली	धारा 17 (1) (ख) (छ) दुर्गम से दुर्गम	दुर्गम से दुर्गम

हस्ताक्षर (कार्मिक)

04/05/2026

नाम:- श्री अरुण कुमार कठेलिया
पदनाम:- अपर सहायक अभियन्ता यांत्रिक
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

04/05/2026

नाम:- श्री अरुण कुमार कठेलिया
पदनाम:- अपर सहायक अभियन्ता यांत्रिक
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत

क्र.सं. 0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इं० शहनवाज अली	अपर सहायक अभियन्ता (यां०)	प्रा०ख० लो० नि०वि० भटवाड़ी।	हरिद्वार/ हरिद्वार	1. अ०ख० लो०नि०वि० सहिया 2. अ०ख० लो०नि०वि० चकराता 3. नि०ख०, लो०नि०वि० चम्बा 4. प्रा०ख० लो०नि०वि० टिहरी 5. अ०ख०, लो०नि०वि० कीर्तिनगर 6. नि०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर 7. अ०ख० लो०नि०वि० थत्यूड़ 8. नि०ख०, लो०नि०वि० चिन्यालीसौड 9. प्रा०ख० लो०नि०वि० पौड़ी 10. नि०ख० लो०नि०वि० पौड़ी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छः) धारा 17 (1) (ख) (सात) धारा 17 (1) (ग) (तीन) धारा 17 (1) (ग) (तीन)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण -- -- -- -- -- -- -- -- --	

नाम - शहनवाज अली
पदनाम - अपर सहायक अभियन्ता (यां०)
प्रा०ख० लो०नि०वि० भटवाड़ी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम - नवीन लाल

पदनाम - अपर सहायक अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि० भटवाड़ी।

भटवाड़ी (उत्तरकाशी)


13/5/26

05/2026

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इं० हरिओम गुप्ता	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	नि०ख०, लो०नि०वि० गुप्तकाशी (मुख्यालय- श्री केदारनाथ धाम)	गृह जनपद उधमसिंह नगर / तहसील बाजपुर	1. नि०ख०, नैनीताल। 2. प्रा०ख०, नैनीताल। 3. अस्थायी खण्ड, भवाली। 4. नि०ख०, श्रीनगर।	<input checked="" type="checkbox"/> धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण दुर्गम कार्यस्थल क्षेत्र से दुर्गम कार्यस्थल क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध

नोट-कॉलन संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के स्तम्भों में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।



हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- इं० हरिओम गुप्ता

पदनाम-कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)



हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-इं० राजबिन्द सिंह


पदनाम-अधिसासी अभियंता

Durgam - 28

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2								
क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एवट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूरज सिंह	अउसओ अभिओ (सी)	नि 0 खओ लोओनिओविओ पोड़ी	रुद्रप्रयाग/उखीमढ	1. प्राओ खओ देहरादून 2. निओ खओ श्रीनगर 3. प्राओ खओ पोड़ी 4. नि 0 खओ पोड़ी 5. प्राओ खओ रुद्रप्रयाग 6. विओ खओ गोपेशनर 7. प्राओ खओ रुद्रप्रयाग	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगभग प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)		मेरी पत्नी अ ख लो नि वि कीर्तिनगर में कार्यरत है एवं मेरे दो छोटे बच्चे व बुढ़ माता निता है जिनकी देखभाल पोड़ी के आस पास एकर ही की जा सकती है। धारा 17 (1) (ख) (ड) के अनुसार निर्माण खण्ड पोड़ी से निकटतम सुगम रिक्त स्थान प्राओ खओ देहरादून व दुर्गम नि खओ श्रीनगर, प्राओ खओ पोड़ी है। आः रतम 6 में दर्शित ऐच्छिक स्थानों पर पहले तीन स्थानान्तरण विकल्प न होने पर मुझे नि 0 खओ लोओनिओविओ पोड़ी में यथावत रखने की कृपा करें।


नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एवट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक),


 नाम- सूरज सिंह
 पदनाम- अउसओ अभिओ (सी)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम-
 पदनाम-


 (S. S. नेगी)
 अधिरात्री अभियन्ता
 नि 0 खओ लोओनिओविओ पोड़ी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिराके अर्जागत अनुरोध किया गया है		धियणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	धारा के नाम के अने टिप्पणियाँ	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	9
1	कौशल कुमार	अपर सहायक अभियन्ता वि०/बि०	प्रान्तीय खण्ड लो०/बि०, रावीखेत	पौड़ी गढ़वाल	1-निर्माण खण्ड, लो०/बि०, नैनीताल 2-प्रान्तीय खण्ड, लो०/बि०, नैनीताल।	धारा 17 (1) (ख) (घ)	दुर्गम से दुर्गम हेतु अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण	महोदय मेरे माता-पिता वरिष्ठ सामरिक की कंपनी में आते है एवं मेरी माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है एवं मेरे पिता जिनकी उम्र 72 वर्ष है, वह भी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे वर्तमान दुर्गम तैनाती स्थल मुख्यालय रावीखेत का वातावरण मेरे माता-पिता को अधिक बुरा आता है, जिसके कारण यहाँ उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। वर्तमान में मेरे माता-पिता जो वरिष्ठ सामरिक की कंपनी में आते है अपने उपचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैदानी क्षेत्र में अकेले रहने के लिए मजबूर है एवं घर में उनकी देख रेख करने के लिए कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण मेरे ऐच्छिक कार्यों के साथ-साथ अपने वरिष्ठ सामरिक माता पिता की देख रेख कर सकूँ। नैनीताल की हल्द्वानी से दूरी रावीखेत की अपेक्षा कम है एवं जरूरत पड़ने पर माता पिता के उपचार हेतु हल्द्वानी में मेडिकल सुविधाएं मेरे माता पिता को उचित समय पर मिल सकती है।

नाम- कौशल कुमार
पदनाम-अपर सहायक अभियन्ता बि०

स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना
प्रान्तीय अभियन्ता